भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 227
(सोमवार, 01 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

निजी कंपनियों का बंद होना और कर्मचारियों का पुनर्वास

227. श्री रमाशंकर बिद्यार्थी राजभरः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान कितनी निजी कंपनियां बंद हुई हैं;
(ख) क्या उक्त कम्पनियों के कर्मचारियों का पुनर्वास किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का बंद की जा रही कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों के पुनर्वास हेतु कोई विशेष योजना लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) देश में कितनी छदम कंपनियां चिह्नित की गई हैं तथा सरकार द्वारा अब तक उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार का पिछड़े और ग्रामीण इलाकों में उद्योग लगाने के लिए कारपोरेट कंपनियों को टैक्स में छूट या प्रोत्साहन देने के लिए कोई नीति बनाने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत उपबंधों के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों के दौरान 2,04,268 निजी कंपनियां निम्नानुसार समामेलन, परिवर्तन, विघटन और स्ट्राइक-ऑफ के कारण बंद हुई हैं

वित्तीय वर्ष	बंद की गई कंपनियां
2020-21	15,216
2021-22	64,054
2022-23	83,452
2023-24	21,181
2024-25	20,365

(ख) और (ग): सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ): कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में शेल कंपनी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, इस मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिनियम की धारा 248(1) के अंतर्गत कंपनियों को स्ट्राइक-ऑफ किया जाता है, जिनके विरुद्ध तत्काल पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए कोई व्यवसाय या प्रचालन नहीं कर रही हैं और अधिनियम की धारा 455 के अंतर्गत निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसी अवधि के भीतर कोई आवेदन नहीं किया है अथवा ज्ञापन के अभिदाताओं ने उस अभिदान का भुगतान नहीं किया है जिसके लिए उन्होंने एक कंपनी के निगमन के समय भुगतान करने के लिए आश्वासन दिया गया था और इस आशय की घोषणा जो अधिनियम की धारा 10क की उप-धारा (1) के तहत इसके निगमन के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर फाइल नहीं की गई थी।

(ङ): क्षेत्र विशिष्ट कर प्रोत्साहन प्रदान करने के बजाय एक सरल, पारदर्शी और न्यायसंगत कर व्यवस्था बनाने के लिए कर दरों को युक्तिसंगत बनाते हुए धीरे-धीरे छूटों और कटौतियों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की सरकार की घोषित नीति है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने और व्यापार करने में आसानी के लिए कई सुधार किए हैं, जिसमें मौजूदा और नई घरेलू दोनों कंपनियों के लिए कारपोरेट कर दरों में पर्याप्त कटौती शामिल है।

****